शीर्ष प्राथमिकता

परिपत्र संख्या- 12 सामा-1(1)/2019

प्रेषक,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 25 अप्रैल, 2019

महोदय,

अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करते हुए कारागारों की सुरक्षा में व्याप्त कमियों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, जिसके अन्तर्गत अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ कारागारों में खाद्य पदार्थ आदि आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों तथा कारागारों के अन्दर तक जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों के चालकों का कोई सत्यापन न कराये जाने का तथ्य भी संज्ञान में लाया गया है।

आप सहमत होंगे कि कारागार की संवेदनशीलता के दृष्टिगत कारागार के अन्दर प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है जिससे कोई अवांछित व्यक्ति किसी निहित स्वार्थवश कारागार के अन्दर प्रवेश न कर सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि कारागारों में विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले स्थायी आपूर्तिकर्ताओं का पुलिस सत्यापन अवश्य कराया जाये तथा कारागारों में प्रवेश करने वाले विभिन्न वाहनों के चालकों से फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति प्राप्त कर अभिलेखों में सुरक्षित रखी जाये जिससे कारागार में कोई संदिग्ध व्यक्ति प्रवेश न कर सके तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की स्थिति में उनकी पहचान की जा सके।

उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें।

25/4/19

(चन्द्र प्रकाश)
अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।